झारखण्ड सरकार
**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0) राँची / PDS–12 / 2022 - 934
प्रेषक,

**संजय कुमार**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**सचिव**
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 10.11.2023

**विषयः– झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा श्रम अधिनियम का पालन नहीं किये जाने के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा श्रम अधिनियम अन्तर्गत आने वाले कानून का पालन नहीं किये जाने, निगम मुख्यालय में Labour Indeminty Act-1923 & EPF Act-1952 का अनुपालन परिवहन अभिकर्ताओं से नहीं करवाने आदि आरोपों से संबंधित परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन
10/11/23
**(संजय कुमार)**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।



पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

1008
03/10/23

256

3/10/23

दिनांक :- 28-09-2023

सेवा में ,

अध्यक्ष ,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड ,
राँची ।

04/10/23

विषय :- झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय ,राँची के द्वारा श्रम अधिनियम का पालन नहीं करने के सम्बन्ध में ।

141
4.10.23

महोदय ,

नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम जो कि झारखण्ड सरकार का उपक्रम है। उनके द्वारा श्रम अधिनियम अंतर्गत आने वाले कानून के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य सरकार के गोदामों तक खाद्यान के परिवहन का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य निगम निविदा के द्वारा खाद्यान के परिवहन का कार्य करवाती है। खाद्यान्न के परिवहन में ट्रक ड्राइवरों एवं गोदामों में खाद्यान के उठाव एवं रखरखाव करने हेतु मजदूरों की भूमिका बड़े स्तरों पर होती है। झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के निविदा में परिवहन अभिकर्ताओं को LABOUR INDEMNITY ACT 1923 & EPF ACT 1952 का पालन करने का निर्देश रहता है। साथ ही सुरक्षा नियम अंतर्गत ट्रकों में अग्निशमन यंत्र रखने का प्रावधान है एवं खाद्यान की सुरक्षा हेतु ट्रकों में जीपीएस लगाने का प्रावधान है।

प्रबंध निदेशक ,निगम मुख्यालय, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची के द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि निगम मुख्यालय में LABOUR INDEMNITY ACT 1923 & EPF ACT 1952 का अनुपालन परिवहन अभिकर्ताओं से नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही जीपीएस के निरीक्षण के लिए निगम मुख्यालय में तकनीकी कण्ट्रोल रूम के साथ साथ तकनीकी कर्मचारियों की भी नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसके लापरवाही से परिवहन कार्य में लगे हुए ट्रक ड्राइवरों एवं गोदामों में खाद्यान के उठाव एवं रखरखाव करने हेतु मजदूरों का शोषण हो रहा है।

प्रबंध निदेशक, निगम मुख्यालय, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची के द्वारा उक्त नियमों का अनुपालन परिवहन अभिकर्ताओं से नहीं करवाया जा रहा हैं साथ श्रम विभाग के नियमों की अहवेलना करते हुए करोडो रूपये का भुगतान कर दिया गया है एवं वर्तमान में भी किया जा रहा है। जिसके चलते हजारों कार्य करने वाले मजदूरों को उचित वेतनमान एवं उनके भविष्य निधि का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ साथ आकस्मिक दुर्घटना होने पर भी मजदूरों को जीवन यापन एवं चिकित्सा के लिए भुगतान नहीं हो रहा है एवं मजदूरों का शोषण हो रहा है।

अत: महाशय से सादर अनुरोध है कि मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एवं उक्त विषय पर जाँच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

RTI Worker
Ranchi